UPMZ010057262026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर**

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2689 सन 2026

1. नाजिम पुत्र इकबाल उर्फ यासीन
2. आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र इकबाल उर्फ यासीन
3. श्रीमती संजीदा खातून उर्फ संजीदा पत्नी इकबाल उर्फ यासीन
4. इकबाल उर्फ यासीन पुत्र मेहरदीन
5. नाजमा उर्फ नाजिया पत्नी आस मौहम्मद उर्फ आशू
6. साहिबा पुत्री इकबाल पत्नी आरिफ
7. मौ. आरिफ उर्फ आरिफ पुत्र मीरहसन

निवासीगण मकान नम्बर 1341 वर्धमान नगर बस्ती जोढेवाल
लुधियाना पंजाब

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—41 सन 2026
धारा —85, 76, 115 (2)
भारतीय न्याय संहिता
एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना—शाहपुर
जनपद— मुजफ्फरनगर

**22.06.2026**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से थाना शाहपुर के अपराध संख्या—41 सन 2026 धारा —85, 76, 115 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उन्हे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि वादिया मुकदमा की शादी नाजिम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही वादिया आवेदकगण/अभियुक्तगण को तंग व परेशान करने लगी थी तथा उन्हें झूठे दहेज के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी

थी। यह भी कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने वादिया मुकदमा से किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही मारपीट की गयी। वादिया मुकदमा ने वैवाहिक विवाद को आपराधिक रंग देने के उददेश्य से यह झूठी एफआईआर दर्ज करायी है। प्राथमिकी में घटना का कोई समय व स्थान दर्शित नहीं किया गया है।

अंत में कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सम्मानित परिवार के हैं तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र शपथ पत्र दाखिल किये गये हैं।

**2.** अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

**3.** उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

**4.** अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

**5.** प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादिया मुकदमा आमना द्वारा घटना दिनांक 24.03.2022 से लेकर 07.10.2025 के मध्य घटित होने के संबंध में दिनांक 15.02.2026 को समय 9.30 बजे थाना शाहपुर पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि वादिया मुकदमा का निकाह नाजिम के साथ दिनांक 24.03.2022 को हुआ था जिसमें उसके मायके वालों ने अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर जेवरात, घरेलू सामान कपडे आदि दिये थे परंतु निकाह के समय से ही उससे दहेज में स्वीफ्ट कार व दस लाख रूपये की मांग की जाने लगी और उसे प्रताडित व मारपीट किया जाने लगा। उसका पति पत्नी की अदला बदली पार्टी में जाने का दबाव डालता था तथा मना करने पर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था। उसके देवर आशू ने उसे अपमानित करने के आशय

से उसकी छाती के कपडे फाड दिये। वादिया ने विरोध करना चाहा तो घर के सभी सदस्यों व देवरानी ने कहा कि देवर है मजाक कर रहा होगा। उसकी ननद साहिबा व ननदोई आरिफ जब उसकी ससुराल आते थे तो सास व ससुर को उकसाते कि जब तक दबाव नहीं बनाओगे दहेज की मांग कैसे पूरी करेगी। उनकी अंगूठी की मांग भी पूरी नहीं की। दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे मारपीट करके गांव हरसौली छोडकर चले गये। ससुराल वालों को काफी मनाने का प्रयास किया गया परंतु नहीं मान रहे।

**6.** अभियोजन कथानक अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व वादिया मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मांग करने व इसके लिये उसे प्रताडित व मारपीट करने का आरोप बताया गया है।

केस डायरी में संलग्न वादिया मुकदमा की चिकित्सीय आख्या के अवलोकन से जाहिर होता है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय उसके शरीर पर किसी वाह्य चोट के निशान नहीं पाये गये हैं। आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण को धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन नहीं है। संबधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **नाजिम पुत्र इकबाल उर्फ यासीन, आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र इकबाल उर्फ यासीन, श्रीमती संजीदा खातून उर्फ संजीदा पत्नी इकबाल उर्फ यासीन, इकबाल उर्फ यासीन पुत्र मेहरदीन, नाजमा उर्फ नाजिया पत्नी आस मौहम्मद उर्फ आशू, साहिबा पुत्री इकबाल पत्नी आरिफ एवं मौ. आरिफ उर्फै आरिफ पुत्र मीरहसन** को अंतर्गत अपराध संख्या–41 सन 2026 धारा –85, 76, 115 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में प्रत्येक के द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास हजार–पचास हजार रूपये के दो दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि

उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होंगे।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेंगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेंगे–''अभियुक्तगण विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।''

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेंगे कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेंगे। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

**(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**

दिनांकः **22**.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर